



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23102026-277370
CG-DL-E-23102026-277370

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 835]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 22, 2026/आश्विन 30, 1948

No. 835]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 22, 2026/ASVINA 30, 1948

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2026

सा.का.नि. 906(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय विधिक मापविज्ञान संस्थान, रांची (समूह 'क' पद) भर्ती नियम 2010, को जहां तक उनका संबंध निदेशक के पद से संबंधित हैं, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, भारतीय विधिक मापविज्ञान संस्थान रांची में निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ – (I) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय विधिक मापविज्ञान संस्थान, रांची, निदेशक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर - पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के कॉलम (5) से कॉलम (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद/पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण/आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम ।	पद की संख्या ।	वर्गीकरण ।
(1)	(2)	(3)
निदेशक ।	01* (2026) *कार्यभार के आधार पर इसमें परिवर्तन संभव है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय

वेतन-मैट्रिक्स में स्तर ।	चयन अथवा अचयन पद ।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।
(4)	(5)	(6)
लेवल-12 (78,800/- रु. 2,09,200/- रु.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता ।

सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेदन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता।	
(10)	
संयुक्त विधि – प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/पदोन्नति	100
पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेदन द्वारा भर्ती के मामले में, वे श्रेणियां जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेदन किया जाएगा।	
(11)	
प्रतिनियुक्ति(अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों या सार्वजनिक उपक्रमों या स्वायत्त निकायों या वैधानिक निकायों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के वे अधिकारी: (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हुए हों; या (ii) जो मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (रु. 67700-208700) या समकक्ष में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा किए हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव रखते हों: अनिवार्य: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भौतिकी या गणित में स्नातकोत्तर (जिसमें स्नातक स्तर पर भौतिकी एक विषय हो); या (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर या इंस्ट्रुमेंटेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में स्नातक; और (iii) मापविज्ञान उपकरणों (जैसे माप यंत्रों) या विधिक मापविज्ञान से संबंधित कार्यों में मानकीकरण, अंशांकन या प्रशिक्षण प्रदान करने का दस वर्ष का शिक्षण और/या व्यावहारिक अनुभव। वांछनीय: हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान। टिप्पण 1: वेतन स्तर-11 (₹67,700 - ₹2,08,700) में कार्यरत विभागीय प्रोफेसर (भारतीय विधिक मापविज्ञान संस्था) जिन्होंने इस पद पर पांच साल की नियमित सेवा पूरी कर ली है, उन्हें बाहरी अभ्यर्थियों के साथ विचाराधीन रखा जाएगा। यदि विभागीय अभ्यर्थी का इस पद पर चयन होता है, तो इसे पदोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा।	

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है?
(12)
लागू नहीं होता
भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/1/2024-स्था.]

बाल कृष्ण ठाकुर, अवर सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2026

G.S.R. 906(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Indian Institute of Legal Metrology, Ranchi (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2010, in so far as they relate to the post of Director, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director in the Indian Institute of Legal Metrology, Ranchi, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, namely :-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Indian Institute of Legal Metrology, Ranchi, Director (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and Pay Level in Pay Matrix. - The number of the post, its classification and Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.
(1)	(2)	(3)
Director.	01* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.

Level in Pay Matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(4)	(5)	(6)
Level-12 (Rs. 78,800/- - Rs. 2,09,200/-).	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	
(10)	
Composite method. – Deputation (including short-term Contract)/promotion	100
In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	
(11)	
Deputation (including short term contract):	
Officers under the Central Government or State Governments or Union territories or public sector undertakings or autonomous bodies or statutory bodies or recognised universities or recognised research institutions:	
(A)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or	
(ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Level-11 (Rs. 67,700/- - Rs. 2,08,700/-) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; and	
(B) possessing the following educational qualifications and experience:	

Essential:

- (i) Masters degree in Physics or Mathematics (with Physics as a subject at degree level) from a recognised university or institute; or
- (ii) Bachelors degree in Mechanical or Electrical or Electronics or Computer or Instrumentation or Information Technology Engineering from a recognised university or institute; and
- (iii) ten years experience of teaching and/or practical experience of standardisation, calibration or imparting training in Metrological items (e.g. measuring instruments) or in work connected with Legal Metrology.

Desirable: Working knowledge of Hindi.

Note 1: The departmental Professor (Indian Institute of Legal Metrology) in Pay Level-11 (Rs. 67,700/- - Rs. 2,08,700/-) with five years of regular service in the grade shall be considered along with outsiders and in case the departmental candidate is selected for appointment to the post; it shall be treated as having been filled by promotion.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.
(12)
Not applicable
Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(13)
Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/1/2024-ESTT]

BAL KRISHNA THAKUR, Under Secy.